आख्या

2022-23

महिला प्रकोष्ठ

डॉ० भीम राव आम्बेडकर महिला महाविद्यालय फतेहपुर में प्रतिस्थापित महिला प्रकोष्ठ को इस सत्र में भी विविध प्रकार के कार्यों को किये जाने के लिए महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ० अपर्णा मिश्रा द्वारा सहमति प्रदान की गई। प्रकोष्ठ की प्रभारी डॉ० गुलशान सक्सेना, सहप्रभारी डॉ० सरिता गुप्ता हुई तथा प्रकोष्ठ के सदस्य डॉ० शकुंतला, डॉ० रेखा वर्मा व श्रीराजकुमार बने। 26.08.22. को महिला प्रकोष्ठ के तत्वावधान में 'महिला समानता दिवस' मनाया गया। इस अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत डॉ० सरिता गुप्ता ने अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया तथा छात्राओं के साथ महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।

दिनांक 24.01.23. को गाँधी सभागार फतेहपुर में जिलाधिकारी श्रीमती श्रुति की अध्यक्षता में एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। यह ~~दिवस~~ 'राष्ट्रीय बालिका दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आयोजित इस कार्यशाला में महिलाओं से जुड़े कार्य करने वाले भिन्न-भिन्न विभागों के आए हुए प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव साझा किये। इस कार्यशाला में राजकीय महिला महाविद्यालय फतेहपुर के महिला प्रकोष्ठ की प्रभारी डॉ० गुलशान सक्सेना व सहप्रभारी डॉ० सरिता गुप्ता ने प्रतिभाग किया।

(हस्ताक्षर)

प्रभारी
महिला प्रकोष्ठ
राजकीय महिला महाविद्यालय
फतेहपुर

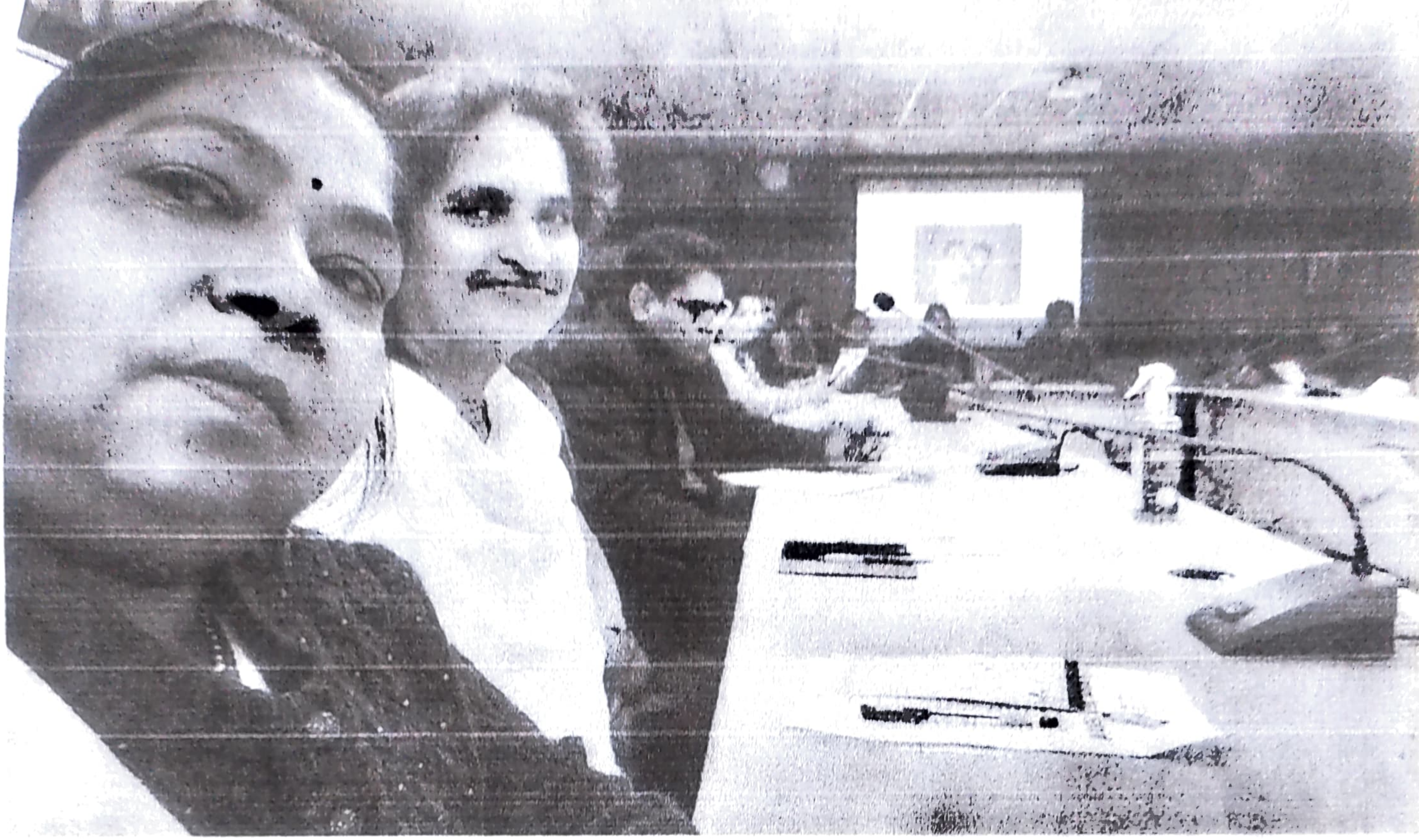

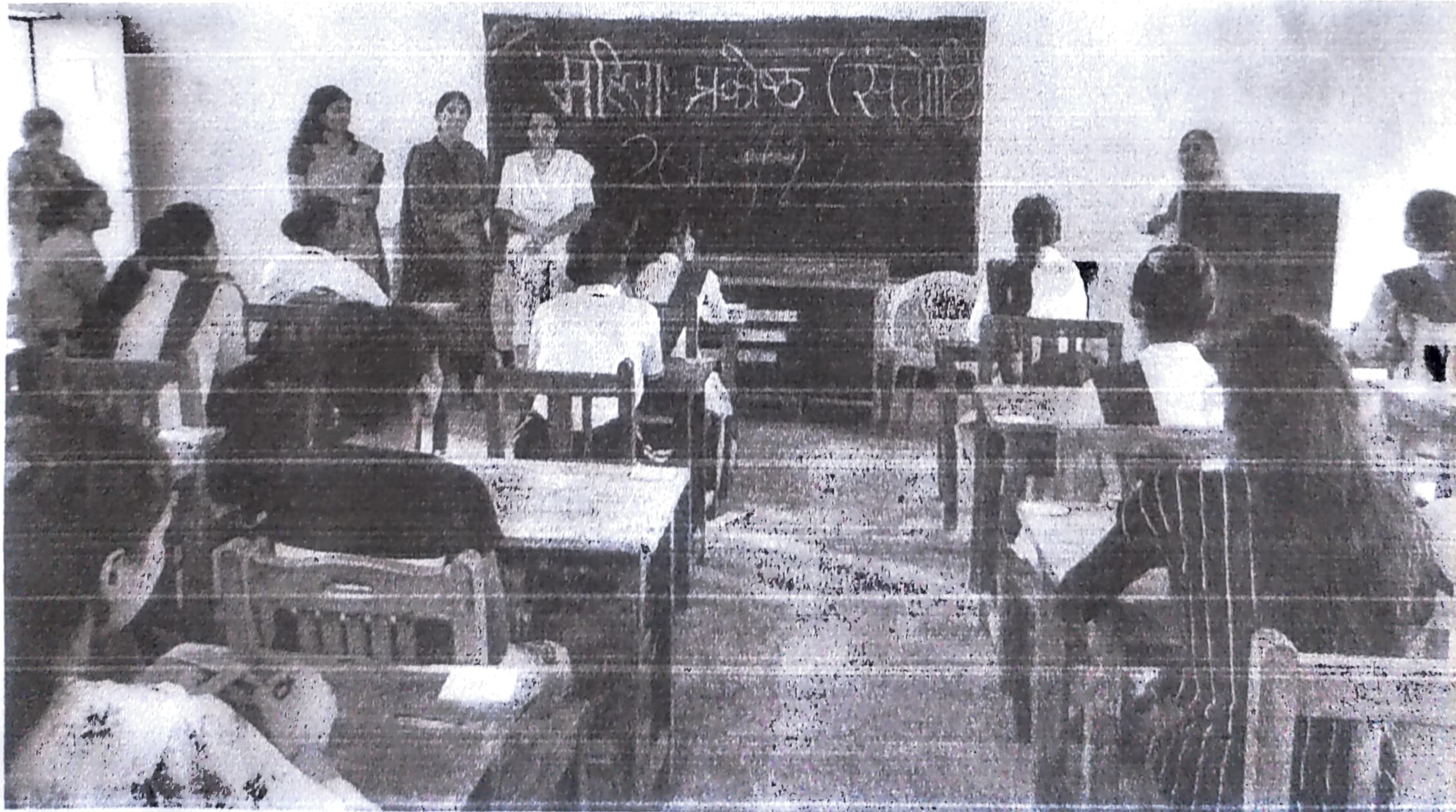
महिला प्रकोष्ठ

डॉ0 भीमराव आम्बेडकर राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, फतेहपुर

आख्या

विधिक जागरूकता कार्यक्रम

डॉ0 भीमराव आम्बेडकर राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, फतेहपुर के महिला प्रकोष्ठ के एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर के संयुक्त तत्वावधान में आज दिनांक 04.03.2023 को अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम में एडवोकेट श्रीमती दीपिका श्रीवास्तव रिसोर्स पर्सन के रूप में उपस्थित रहीं। दीपिका जी ने छात्राओं को महिलाओं की समस्याओं के समाधान हेतु उपलब्ध तंत्र एवं विभिन्न संस्थाओं के विषय में जानकारी दी। एक और रिसोर्स पर्सन के रूप में एडवोकेट श्रीमती सन्तोष कुमारी शुक्ला का वक्तव्य हुआ श्रीमती संतोष जी ने महिलाओं की समस्याओं के समाधान हेतु प्रशासन न्यायिक व्यवस्था में उपलब्ध समाधान से विधार्थियों को अवगत कराया तथा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961 इत्यादि धाराओं पर विस्तृत चर्चा की।

इस अवसर पर ए0डी0जी0 श्रीमती अपर्णा त्रिपाठी भी मौजूद रहीं, इन्होंने घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम 2005 के प्रावधानों से अवगत कराया। महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ0 अपर्णा मिश्रा ने कहा कि इन सभी धाराओं की जानकारी होना अत्यंत लाभप्रद है क्योंकि ये छात्राएं स्वयं जागरूक हों तथा अपने आस–पास की समस्त महिलाओं को उनके अधिकारी के प्रति जागरूक करें।

कार्यक्रम का संचालन डॉ0 चारू मिश्रा ने किया तथा आभार प्रदर्शन महिला प्रकोष्ठ की प्रभारी डॉ0 गुलशन सक्सेना ने किया। महिला प्रकोष्ठ की सह प्रभारी डॉ0 सरिता गुप्ता डॉ0 शकुन्तला डॉ0 रेखा वर्मा समेत पूरा महाविद्यालय परिवार उपस्थित रहा।

Amishra

डॉ0 अपर्णा मिश्रा
प्राचार्य

प्राचार्य
डॉ भीमराव आम्बेडकर
रा0 म0 स्ना0 महा0 विद्यालय
फतेहपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
फतेहपुर
विधिक जागरूकता शिविर

जिला विधिक सेवा
फतेहपुर
जागरूकता